

NHB(ND)/R&PFD/2020
10th September, 2020



To All Eligible Primary Lending Institutions

Madam / Dear Sir,

Revision in the Refinance Scheme under Affordable Housing Fund (AHF)

National Housing Bank (NHB) aims to promote a sound, healthy, viable and cost effective housing finance system to cater to all segments of the population.

2. Pursuant to the announcement in the Union Budget 2018-19, a dedicated Affordable Housing Fund (AHF) in NHB was established to provide refinance assistance to PLIs in respect of their individual housing loans to target segments in rural and urban areas. A corpus of 10,000 crore has been allocated for the FY 2019-20 under the AHF scheme.

3. NHB shall provide refinance for lending to the rural housing sector undertaken by people falling under the Weaker section category as defined in the guidelines on lending to priority sector and the rural population with the annual income not exceeding ₹ 3 lakh. Further, NHB shall provide refinance for lending to the urban housing sector falling under the lower income segments.

4. In line with the Government initiatives towards addressing the housing needs of Economically Weaker Sections (EWS), NHB shall provide refinance up to 100% of the claim amount in rural areas with annual household income not exceeding ₹3 lakh. It has been further decided to extend **refinance up to 100% of the claim amount** in respect of individual borrowers with annual household income not exceeding ₹3 lakh (EWS category) in urban areas also.

5. The claims will be processed on **first-come first-serve basis and subject to availability of funds**. The terms and conditions of Affordable Housing Fund scheme may be referred from the Bank's website.

Yours faithfully,

Vishal Goyal
General Manager

Refinance & Project Finance Department



भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ईमेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

रा.आ.बैंक(नदि)/आरएंडपीएफडी/2020
10 सितंबर, 2020

सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों हेतु,

महोदया/महोदय,

किफायती आवास निधि (एएचएफ) के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना में संशोधन

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) का उद्देश्य आबादी के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सुदृढ़, ठोस, व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना है।

2. केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लक्षित वर्गों हेतु उनके वैयक्तिक आवास ऋण के संबंध में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित किफायती आवास निधि (एएचएफ) की स्थापना की गई थी। एएचएफ योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 हेतु ₹ 10,000 करोड़ की निधि आबंटित की गयी है।
3. रा.आ.बैंक ₹ 3 लाख से कम वार्षिक आय वाली ग्रामीण आबादी तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के दिशानिर्देशों में परिभाषित कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए ग्रामीण आवास क्षेत्र को उधार देने हेतु पुनर्वित्त प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आने वाले शहरी आवास क्षेत्र को ऋण देने हेतु पुनर्वित्त उपलब्ध करायेगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार की पहल के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रा.आ.बैंक ₹ 3 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारिवार के लिए दावा राशि का 100% तक पुनर्वित्त उपलब्ध करायेगा। शहरी क्षेत्र में भी ₹ 3 लाख से कम (ईडब्ल्यूएस श्रेणी) वार्षिक पारिवारिक आय वाले वैयक्तिक उधारकर्ताओं के संबंध में दावा राशि का 100% तक पुनर्वित्त का देने का निर्णय लिया गया है।

5. दावों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा तथा निधि की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा। किफायती आवास निधि योजना के नियम एवं शर्तों के लिये बैंक की वेबसाइट का संदर्भ लें।



विशाल मीयल

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग